

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2015/पौष 11, 1936 No. 18] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2015/PAUSHA 11, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 1 जनवरी. 2015

का.आ. 18(अ).—यत: दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.06.2014 की सं. का.आ. 1562(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन: जोन 'ई' में निम्नलिखित क्षेत्रों का भू-उपयोग नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:

स्थान	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूमि उपयोग (दि.मु.यो- 2021)	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
1	2	3	4	5
वजीराबाद रोड	3900 वर्ग मी.	'मनोरंजनात्मक'	उपयोगिता (यू-3)	उत्तर : 18 मी. मार्गाधिकार रोड
पर कॉलेज के		(सामुदायिक पार्क)	(आरएसएस)	दक्षिण : एसटीपी
पास स्थल		, G		पूर्व : हरित / मनोरंजनात्मक
				पश्चिम : पूर्वी यमुना नहर

23 GI/2015 (1)

टिप्प्णी: यह प्रस्ताव, डीएमआरसी द्वारा निम्नलिखित स्वीकृतियां प्राप्त करने के अध्यधीन होगा:

- (i) पर्यावरण विभाग से ईआईए स्वीकृति ।
- (ii) पेड़ काटने की अनुमति ।

[फा. सं. के-13011/19/2014-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

- **S.O. 18(E).**—whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1562(E) dated 16.6.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, no objections/suggestions were received with regard to the proposed modifications and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following areas in Zone 'E' is changed as per description listed below:

Location	Area in sqm	Land Use	Land Use	Boundaries
		(MPD-2021)	changed to	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Site near	3900 sq.m.	'Recreational'	Utility (U-3)	North - 18m R/W road.
College on		(Community Park)	(RSS)	South – STP
Wazirabad				East – Green/Recreational
Road				West – Eastern Yamuna Canal

Note: The proposal would be subject to following clearances to be taken by DMRC:

- (i) EIA Clearance from Department of Environment.
- (ii) Tree cutting permission.

[F. No. K-13011/19/2014-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.